भारतीय जनगणना - मानव इतिहास में सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया की शुरूआत

पंकज गर्ग, वैज्ञानिक 'बी'
राजसं., रूड़की

जनगणना किसी भी देश, प्रदेश या प्रखण्ड के निवासियों की जानकारी प्राप्त करने, प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण आर्थिक विकास की योजना तैयार करने, विकास योजनाओं के लिये संसाधनों का आंकलन और आवंटन करने, विकास के लिये किये गये सरकारी प्रयासों की समीक्षा करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित करने हेतु आधार प्रदान करती है । इस प्रकार जनगणना के माध्यम से एकत्रित किये गये आंकड़े न केवल सरकार या योजनाकारों के लिये बल्कि प्रशासकों, शिक्षार्थियों आदि के लिये भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होते हैं । सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सरकार इन्ही आंकड़ों के आधार पर संसाधनों का आवंटन करती है तथा विकास योजनाएं तैयार कर उनका संचालन करती है।

जनगणना आकड़ों को समाज का दर्पण माना जाता है । इन आंकड़ों तथा अन्य सूचनाओं के भली-भाँति प्रयोग को सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन का दायित्व भी होता है । लोकतंत्र का सर्वमान्य सिद्धान्त भी है कि जनता से प्राप्त जानकारियों का उपयोग जनहित की परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में किया जाता है । संसार में हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से यद्यपि चीन के बाद दूसरे नम्बर का देश है, लेकिन जनगणना के आयोजन में भारत में चीन की तुलना में अधिक व्यापक और विस्तृत कार्य किया जा रहा है । भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के लिये तैयार प्रश्नावली में तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये अधिक प्रश्न रखकर जनगणना अभियान को अधिक व्यापक स्वरूप प्रदान किया है । इस प्रकार विशेष रूप से वर्ष 2011 की जनगणना विश्व की विशालतम जनगणना होगी ।

जनगणना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है । हमारा देश संसार के उन गिने- चुने देशों में है जहाँ जनगणना की परम्परा बहुत प्राचीन है । प्राचीन काल में जनगणना होने का संदर्भ कौटिल्य और प्लूटो द्वारा रचित ग्रन्थों में विस्तार से उपलब्ध है ।

आधुनिक भारत में पहली बार 1872 में जनगणना कराई गयी थी इसके उपरान्त देश में आज तक नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष बाद इस कार्य को सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार, इसकी प्रक्रिया में थोड़ा संशोधन करते हुये, वरीयता के आधार पर सम्पन्न कराया जाता रहा है । वर्ष 1872 से अब तक कुल 14 बार जनगणना की जा चुकी है । स्वतंत्र भारत में 6 बार जनगणना सम्पन्न कराई जा चुकी है । वर्ष 2011 की जनगणना इस सहस्त्राब्दी की दूसरी और विश्व की विशालतम जनगणना है । इस कार्य को चुनौती के रूप में लेते हुये द्रुतगति से कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं ।

भारत में पहली आधुनिक जनगणना 1872 मे ब्रिटिश सरकार द्वारा देश पर अपने प्रशासन की पकड़ मजबूत बनाने के प्रमुख उद्देश्य से कराई गयी, उन्होंने इस कार्य को गम्भीरता से लिया व कुशलतम लोगों को इस कार्य में लगाया जिन्हें अच्छा अनुभव था । यहां पर यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भारत में जनगणना कराने का अंग्रेजी शासकों का कोई भी उद्देश्य रहा हो लेकिन देश में जनगणना की एक सुव्यवस्थित और स्वस्थ परम्परा प्रारंभ हुई ।

जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना प्रक्रिया

जनगणना सम्बन्धी दायित्व पूर्णतया केन्द्र सरकार के पास है अर्थात् यह केन्द्र का विषय है। इसका तात्पर्य है कि केवल केन्द्र सरकार ही जनगणना कराने का कार्य कर सकती है । राज्य सरकारों को जनगणना कराने का अधिकार प्राप्त नहीं है । जनगणना की प्रणाली क्रियान्वित करने के लिये इसको समुचित प्रकार से सम्पादित करने हेतु देश में जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया । इस नियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सबसे पहले जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है । जनगणना आयुक्त ही रजिस्ट्रार जनरल होता है । इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारियों आदि की नियुक्ति भी इसी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है । जनगणना आयुक्त की देखरेख में पूरे देश में भारी-भरकम जनगणना का कार्य सम्पादित होता है ।

देश की 15वीं जनगणना की प्रक्रिया 01 अप्रैल, 2010 से प्रारंभ हो गयी है । इस दौरान पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर) तैयार किया जाएगा । इसके अन्तर्गत नागरिकों का एक व्यापक पहचान डाटा बेस तैयार किया जाएगा ।

15वीं जनगणना पर एक नजर

- आजादी के बाद सातवीं जनगणना
- 25 लाख कर्मचारी भाग लेंगे
- 35 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेश में रहने वाले 1.2 अरब निवासियों से सम्पर्क करेंगे ।
- 640 जिले, 5767 तहसील व 7742 शहरों व 6 लाख गाँव को कवर किया जायेगा।
- 24 करोड़ घरों व प्रतिष्ठानों का दौरा होगा
- कुल खर्च 59 अरब 56 करोड़ रूपये होगा
- 2209 करोड़ रूपये खर्च होंगे जनगणना पर
- 3540 करोड़ रूपये खर्च होगें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर
- 2011 के मध्य में जनगणना का रिजल्ट प्रकाशित होगा
- 64 करोड़ जनगणना फार्म और 50 लाख इंस्ट्रक्शन्स मैनुअल छापने के लिए 12000 टन कागज की आवश्यकता होगी ।
- फार्म 16 भाषाओं और मैनुअल 18 भाषाओं में प्रकाशित किये जायेंगे ।

इस जनगणना के दौरान मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, पानी के प्रयोग तक के आंकड़े जुटाये जायेंगे । जन संख्या रजिस्टर के तहत पहली बार हाथ की सभी उगंलियों के निशान भी लिये जायेंगे। पहली बार व्यापक आकड़ों को इकट्ठा किया जायेगा। इसी तरह बैंकिग सुविधाओं से लेकर पीने के पानी तक की सुविधाओं का ब्यौरा दर्ज होगा । एक बार में आंकड़े इकट्ठा होने के बाद एक खास नम्बर जारी होगा । फिर उन्हें एक राष्ट्रीय बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र मिल जायेगा ।

प्रथम चरण (जनगणना)

इस वर्ष अप्रैल से जुलाई तक के बीच घरों की जनगणना होगी । इस दौरान जनगणना अधिकारी घर-घर जाकर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, वर्तमान पता, स्थाई पता, शिक्षा, माता पिता का नाम, बच्चों, पत्नी आदि के नाम की जानकारी अंकित करेंगे । घर में बिजली पानी, गैस, शौचालय आदि पूछा जायेगा । इसके बाद एक पावती रसीद दी जायेगी । सभी लोगों के आंकड़े जुटा कर उन्हें स्थानीय/अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में दर्ज किया जायेगा । इसके बाद देश भर में 15 डेटा प्रोसेसिंग एक्ट बनाये गये हैं । यहां आई. सी.आर. सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा प्रारूप तैयार किया जायेगा । फाइनल होने से पूर्व यह जानकारी किसी को नहीं दी जायेगी । यहां तक कि अदालतों में भी इसे तलब नहीं किया जायेगा ।

दूसरा चरण (एन पी आर)

अगले वर्ष 9 से 28 फरवरी के बीच चलेगा । इस दौरान 15 साल के अधिक उम्र वाले लोगो के फोटो, दस उंगलियों के फिंगर प्रिन्ट, जैसे वायोमेट्रिक डेटा लिया जायेगा । यह पूछा जायेगा कि मोबाइल फोन, इन्टरनेट और कम्प्यूटर इस्तेमाल करते हैं या नहीं । यह कार्य हर गॉव और वार्ड में कैम्प लगाकर किया जायेगा । इसमें पहले चरण में मिली पावती रसीद लेकर जाना होगा और डिजिटल सूचना दर्ज करानी होगी । इन कैम्पों में न जाने वाले लोग तहसील, डेटा सैन्टर, टाऊन लेवल पर बने परमानेंट एन पी आर सैंटर में जाकर जानकारी दे सकेंगे । इन आंकड़ों की प्रोसेसिंग के बाद आपत्तियां और सुझाव मागें जायेंगे । फिर आवश्यक संशोधन के बाद इस लिस्ट को यूनीड आईडेन्टि अथोरिटि ऑफ इण्डिया को दे दिया जायेगा । यहां पर डुप्लीकेट एन्ट्री को छाटने के बाद 16 डिजिट का यू आई डी नम्बर दिया जायेगा ।

देश में प्रत्येक दशक के प्रारम्भ में कराई जा रही जनगणना के आधार पर राजनैतिक, प्रशासनिक नियोजन और विकास आदि संबंध में अनेक नीतिगत निर्णय लिये जाते हैं । इसलिये जनगणना की प्रक्रिया को समय-समय पर व्यापक, पारदर्शी, विस्तृत बनाने के प्रयास किये जाते रहे हैं । भारतीय लोकतंत्र में यह प्रशासनिक कार्य, कार्य-कर्ताओं के लिये एक चुनौती है ।